न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–42/2013

राजकिशोर सिंह.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य-उत्तरवादी

आदेश

12.01.15

अपीलार्थी श्री राजकिशोर सिंह पे0–स्व0 देवनन्दन सिंह, साकिन–चेथा बन्नी थाना– महेशखूंट, जिला–खगड़िया ने विनोदानन्द सिंह पे0–स्व0 प्रमोद ना0 सिंह वो अम्बुज कुमार सिंह पे0–पदमानन्द सिंह ना0–रहीमपुर डीह, थाना–मुफसिल, जिला–खगड़िया एवं अन्य को उत्तरवादी बनाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय के जमाबंदी सुधार वाद सं0–07/2013 में पारित आदेश दिनांक–06.07.13 के विरूद्ध यह अपीलवाद लाया है।

उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय द्वारा वाद सं0–01/08–09 का विचारण एवं निस्तारण के पश्चात् व्यथित होकर उत्तरवादीगण सोची समझी साजिश के तहत इस न्यायालय के आदेश दिनांक–16.12.2009 को विलुप्त करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अपने प्रभाव में लाकर अवैधानिक रूप से आदेश पारित करा लिया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपर समाहर्त्ता के विविध वाद सं0–01/08–09 में पारित आदेश के पश्चात् ही अपीलार्थी की जमाबंदी कायम हुयी है साथ ही इस विषय पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी है।

उनका कहना है कि तत्कालिन अपर समाहर्त्ता के उपरोक्त आदेश विविध वाद सं0– 01/08–09 राजकिशोर सिंह बनाम विनोदानन्द सिंह के आलोक में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से स्थानीय जाँचोपरान्त प्रश्नगत भूमि से संबंधित 13 जमाबंदी रैयत की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ अपीलार्थी के नाम जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई। परन्तु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने विविध वाद सं0–9/10–11 राजकिशोर सिंह बनाम विनोदानन्द सिंह में यह आदेश पारित किया है कि जमाबंदी रद्ध करने का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को नहीं है परन्तु जमाबंदी सुधार वाद सं0–07/13 विनोदानन्द सिंह बनाम राजकिशोर सिंह में प्रतिवादी राजकिशोर सिंह की जमाबंदी रद्ध करने का आदेश के साथ–साथ आवेदक विनोदानन्द सिंह सहित 13 जमाबंदी रैयत का जमाबंदी पूर्ववत रखने का आदेश पारित कर दिया।

अपीलार्थी खतियान के आधार पर जो उनके दावा के अनुसार उनके दादा दुखा सिंह के नाम दर्ज है प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा करते है।

उन्होंने उन 13 व्यक्तियों के नाम जमाबंदी किस आधार पर कायम हुआ है इस पर भी सवाल उठाया है।

अंत में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0–07/13 विनोदानन्द सिंह बनाम राजकिशोर

~~जमाबंदी पंजी में दर्ज भी हो गया~~। इनकी कुछ जमीन राष्ट्रीय उच्चपथ सं0–31 में अर्जित भी की गई है। प्रमोद नारायण सिंह ने उन देवी देवताओं के प्रबंधन के सिलसिले में कुछ जमीन की बिक्री भी की है जिस पर विक्रेता का दखल–कब्जा है और जमाबंदी भी चल रही है।

उत्तरवादी ने अपीलार्थी के अपीलवाद खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभयपक्ष को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल कागजातों का गहण अध्ययन किया। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0–07/13 में पारित आदेश का भी गहण अध्ययन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने विस्तार पूर्वक मामले का विश्लेषण करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें अपीलार्थी के नाम कायम जमाबंदी को अवैध पाते हुए अंचल अधिकारी, खगड़िया के विविध वाद सं0–9/10–11 दिनांक–~~31.12~~ 03.12.12 में पारित आदेश को निरस्त कर पूर्व से चल रही 13 व्यक्तियों के नाम जमाबंदी को पुर्नस्थापित करने का आदेश पारित किया है साथ ही अपीलार्थी को अपने स्वत्व का निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय की शरण में जाने का सलाह दिया गया है। मेरे विचार में भी इस मामला में स्वत्व न्याय–निर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित प्रतीत होता है। चुंकि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0–07/13 में दिनांक–06.07.13 को पारित आदेश विधिवत प्रतीत होता है इसलिए इसे अक्षुण्ण रखते हुए अपीलार्थी का अपील वाद खारिज किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/1/15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

21/1/15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक 19 / दिनांक 23-1-15

प्रतिलिपि - भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया एवं अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसे जिले के वेबसाईट पर अप लोड किया जाए।

22/1

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया

22/1/15